रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04112024-258430
CG-MH-E-04112024-258430

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946
No. 891] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

भारतीय स्टेट बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 4 नवंबर 2024

सं. एचआर/पी&पीएमडी/एसपीएल/एसपी/2024-25/7.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (वर्ष 1955 का 23वां) की धारा 50 की उप-धारा (2) के खंड (ओ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से, एतद्वारा भारतीय स्टेट बैंक ने कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बना रहा है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 के विनियम 23 में, -

(ए) उप-विनियम (2) में, अंतिम परंतुक से पहले, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, यथा-

"परन्तु यह कि 1 नवंबर, 2022 से और 9 नवंबर, 2023 तक एवं इस तिथि सहित, 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी वेतनमानों में मूल वेतन आहरित करके सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि की गणना इस संबंध में अगले संशोधन तक निम्नानुसार की जाएगी-

(क) जहां पिछले बारह महीनों की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक मूल वेतन का औसत एक लाख चौदह हजार दो सौ बीस रुपए तक है, पिछले बारह महीनों की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक मूल वेतन के औसत का पचास प्रतिशत और व्यावसायिक योग्यता वेतन का आधा हिस्सा और स्थिर वैयक्तिक वेतन के वेतन वृद्धि घटक का आधा हिस्सा, जहां लागू हो, भी शामिल होगा (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपात); और

(ख) जहां पिछले बारह महीनों की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक मूल वेतन का औसत एक लाख चौदह हजार दो सौ बीस रुपए प्रतिमाह से अधिक है, पेंशन योग्य सेवा के अंतिम बारह महीनों के दौरान आहरित मासिक मूल वेतन के औसत का चालीस प्रतिशत, न्यूनतम सत्तावन हजार एक सौ दस रुपए प्रति माह, जिसमें व्यावसायिक योग्यता वेतन का आधा हिस्सा हिस्सा व स्थिर वैयक्तिक वेतन का आधा वेतन वृद्धि घटक, जहां लागू हो, भी शामिल होगा। (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपात):";

(बी) उप-विनियमन (15) में, खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा -

"(iv) 1 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त हो चुके या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन पर महंगाई राहत मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन सूचकांक के प्रति एक प्रतिशत अंक के एक प्रतिशत पर देय होगा। उपरोक्तानुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला 2016 = 100 पर महंगाई राहत के तिमाही औसत में 123.03 अंकों से अधिक की वृद्धि या गिरावट के अनुसार छमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा।

राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)

[विज्ञापन-III/4/असा./660/2024-25]

टिप्पणी - मूल विनियमों को दिनांक 18 सितंबर, 2014 की फाइल संख्या सीडीओ/पीएम/16/ एसपीएल/1136 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया और बाद में अधिसूचना संख्या बीओडी एंड जीओ/वीवीके/470, दिनांक 4 अक्टूबर, 2017, संख्या एचआर/पीपीजी/पीए/19-20/122, दिनांक 1 जून, 2019, संख्या एचआर/पीपीजी/एसकेएन/ 2020-21/206, दिनांक 3 दिसंबर, 2020 और संख्या एचआर/पी एवं पीएमडी/एसपीएल/ एसपी/2023-24/29, दिनांक 18 मार्च 2024 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

STATE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th November, 2024

No. HR/P&PMD/SPL/SP/2024-25/7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (o) of sub-section (2) of section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014, namely: —

1. (1) These regulations may be called the State Bank of India Employees' Pension Fund (Second Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014, in regulation 23, —

(A) in sub-regulation (2), before the last proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that with effect from the 1st November, 2022 and upto and inclusive of the 9th November, 2023, the maximum amount of pension for the members who retired drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 2022 shall be computed till further amendments in this regard, as under—

(a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees one lakh fourteen thousand two hundred twenty per month, fifty percent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees); and

(b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees one lakh fourteen thousand two hundred twenty per month, forty percent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees fifty seven thousand one hundred ten per month plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees):";

(B) in sub-regulation (15), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iv) In respect of employees who retired or retire on or after the 1st November, 2022, Dearness Relief shall be payable at one percent per percentage point of Index on the Basic Pension or Family Pension. The Dearness Relief in the above manner shall be paid half yearly for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 2016=100.".

RAJEEV KUMAR, Chief General Manager (HR).

[ADVT.-III/4/Exty./660/2024-25]

Note. — The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 18th September 2014 *vide* No. CDO/PM/16/ SPL/1136, dated the 15th September, 2014 and were subsequently amended *vide* notification numbers BOD&GO/VVK/470, dated the 4th October, 2017, number HR/PPG/PA/19-20/122, dated the 1st June, 2019, number HR/PPG/SKN/2020-21/206, dated 3rd December, 2020 and number HR/P&PMD/SPL/SP/2023-24/29, dated 18th March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.04 16:26:49 +05'30'